COVID-19
(MOST- URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28482 दिनांक : 22/03/2020

आदेश

'एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1867' एवं 'द' राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957' में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिले को दिनांक 31.03.2020 तक लॉकडाउन किया गया है। उक्त लॉकडाउन के अंतर्गत बाड़मेर जिले में रहने वाले ऐसे परिवारों का चिन्हिकरण किया जाना है जो शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, दिहाड़ी मजदूरो तथा ऐसे जरूरतमंद परिवार जो NFSA की सूची के बाहर है। ऐसे परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिये निम्नानुसार क्षेत्रों के लिये नॉडल अधिकारी नियुक्त किये जाते है :-

क्र. सं.	क्षेत्र	नॉडल अधिकारी	सहायक अधिकारी
1.	नगर परिषद्/शहरी क्षेत्र	उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा	आयुक्त, नगर परिषद बाड़मेर/बालोतरा
2.	ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर	समस्त विकास अधिकारी

उपर्युक्त सूची अनुसार नगरपरिषद्/शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर परिषद्, बाड़मेर/बालोतरा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा को एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर को परिवारों का चिन्हिकरण कर परिवारों के सदस्यों की संख्या सहित सूचना संकलित कर मय सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी दिनांक 23.03.2020 को प्रातः 10:30 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगें। संबंधित नॉडल अधिकारी उक्त सूचना का संकलन कर दिनांक 23.03.2020 को प्रातः 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय की ई-मेल आईडी dmr_bmr@yahoo.com or dm-bar-rj@nic.in पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28483-28492 दिनांक : 22/03/2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
03. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
04. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
05. जिला रसद अधिकारी बाड़मेर
06. आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर/बालोतरा
07. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
08. सोशल मीडिया प्रभारी
09. रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर